कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/माध्य/मा–स/आंगनबाड़ी/2016–17/103 दिनांक: 23/06/2017

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक – प्रथम/द्वितीय

विषय :– आंगनबाड़ी केन्द्रों के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी करने बाबत।
प्रसंग :– अतिरक्ति राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर का पत्रांक : रामाशिप/जय/फा–आंगनबाड़ी/2017 –18/3414 दिनांक : 29.05.17

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संलग्नक दिनांक : 24.01.2017 को आयोजित स्कूल शिक्षा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की शासन सचिव स्तर की समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों की पालना में दिनांक : 05 अप्रेल, 2017 को निदेशक,ICDS एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव, की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बैठक कार्यवाही विवरण अनुसार निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :–

1. **समन्वित आंगन बाड़ी केन्द्रों का संचालन एवं पर्यवेक्षण :–** शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग एवं शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त हस्ताक्षरों से रामावि/राउमावि में समन्वित आंगनबाड़ी केन्द्रों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रभावी संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु प्रदत्त दिशा–निर्देश दिनांक : 08.08.16 के क्रम में इस कार्यालय के निर्देश पत्र दिनांक : 26.09.2016 द्वारा समस्त रामावि/राउमावि में आंगनबाड़ी केन्द्रों के समन्वयन, संचालन एवं पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उक्त क्रम में दिनांक : 05–06 अप्रेल, 2017 को आयोजित विगत वर्ष की सत्रांत संस्था प्रधान वाक्पीठ के मुख्य एजेण्डा बिन्दुओं के सम्बन्ध में जारी विभागीय निर्देश पत्र दिनांक : 03.04.2017 द्वारा समन्वित आंगनबाड़ी केन्द्रों के समुचित संचालन/पर्यवेक्षण हेतु समन्वित विद्यालयों के संस्था प्रधानों द्वारा प्रभावी प्रबोधन किए जाने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण/सम्बलन प्रदान करने के लिए उक्त वाक्पीठ के एक सत्र में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला/संभाग स्तरीय अधिकारियों तथा विभागीय अधिकारियों की संयुक्त वार्ता/परिचर्चा आयोजित करने बाबत निर्देश प्रदान किए गए थे, जिसमे संस्था प्रधानो के समक्ष इन केन्द्रों के संचालन एवं पर्यवेक्षण में आ रही कठिनाइयों/समस्याओं के व्यावहारिक समाधान खोजे जाने थे।

उपर्युक्त विभागीय आदेशों–निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में दिनांक : 06.06.2017 को "शाला दर्पण" के अनुसार सम्पूर्ण प्रदेश में आंगनबाड़ी समन्वयन कार्य की प्रगति रिपोर्ट निम्नानुसार है :–

1 से 10 व 1 से 12 कक्षा वाले संचालित कुल विद्यालयों की संख्या	विद्यालयों की संख्या, जिनमें आंगनबाड़ी वर्तमान में विद्यालय परिसर में संचालित है	विद्यालयों की संख्या, जिनमें आंगनबाड़ी पूर्व में संचालित नहीं, किन्तु विद्यालय में स्थानान्तरित कर संचालित की जानी है	विद्यालयों की संख्या, जिनमें आंगनबाड़ी यथावत् संचालित रहेगी, परन्तु विद्यालय के प्रशासनिक नियन्त्रण में रहेगी			कुल 4+5+6	विद्यालयों की संख्या, जिनमें आंगनबाड़ी विद्यालय से 500 मीटर के अन्दर है, किन्तु आंगनबाड़ी अन्य विद्यालय के साथ समन्वित है, अतः समन्वय प्रस्तावित नहीं	विद्यालयों की संख्या, जिनमे आंगनबाड़ी की दूरी 500 मीटर से अधिक है, अतः मर्ज करना सम्भव नहीं है	आंगनबाड़ी प्रपत्र नहीं भरने वाले कुल विद्यालयो की संख्या
			आंगनबाड़ी हेतु कक्ष उपलब्ध नहीं है	आंगनबाड़ी स्वयं के भवन में संचालित है	भौगोलिक अवरोध के कारण				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13292	3968	22	3371	3943	262	7576	119	2274	45

उपर्युक्त प्रगति रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आदिनांक तक मात्र 30 % समन्वित विद्यालयों में ही आंगनबाड़ी केन्द्र का संचालन विद्यालय परिसर में प्रारम्भ हो पाया है। उक्त क्रम में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान स्तर पर अग्रांकित विवरणानुसार कार्यवाही तत्काल सम्पादित की जानी अपेक्षित है :

- सारणी के कॉलम संख्या 3 एवं 10 में दर्शाए जा रहे विद्यालयों (क्रमशः 22 तथा 45) का चिन्हीकरण सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शाला दर्पण से किया जाकर ग्रीष्मावकाश के दौरान ही उक्त विद्यालयों में से कॉलम संख्या 10 के समस्त 45 विद्यालयों से आंगनबाड़ी प्रपत्र भरवाई जाने की कार्यवाही तत्काल सम्पादित करवाई जाए। इसी प्रकार कॉलम संख्या 3 के समस्त 22 विद्यालयों में नियमानुसार समीपवर्ती आंगनबाड़ी के समन्वयन/स्थानान्तरण की कार्यवाही उक्त समस्त विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश के तत्काल पश्चात् सम्पादित की जानी सुनिश्चित करें।

- सारणी के कॉलम संख्या 4 में दर्शाई जा रही कुल 3371 विद्यालयों में आंगनबाड़ी हेतु सम्बन्धित समन्वित विद्यालय में कक्ष उपलब्ध नहीं होने के कारण आंगनबाड़ी यथावत संचालित की जा रही है, परन्तु उनका समन्वयन विद्यालय में किये जाने के कारण प्रशासनिक नियन्त्रण विद्यालय द्वारा ही किया जा रहा है। उक्त क्रम में आपका ध्यान इस कार्यालय के आदेश क्रमांक : शिविरा/माध्य/ मा–स /आंगनबाड़ी/2016–17/91, दिनांक : 25.04.2017 की तरफ आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार ऐसे आंगनबाड़ी केन्द्र, जो भवन विहीन है, उनके निकटस्थ विद्यालयों में भूमि उपलब्ध होने पर सम्बन्धित संस्था प्रधान को आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए भवन निर्माण हेतु "अनापति प्रमाण–पत्र" जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। उक्त स्वीकृति के क्रम में भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु विद्यालय द्वारा NOC जारी किए जाने के पश्चात् समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु समन्वित विद्यालय में आवश्यकतानुसार कक्षों के निर्माण हेतु बजट एवं निर्माण की कार्यवाही विद्यालय के संस्था प्रधान के समन्वय एवं सहयोग से सम्पादित की जानी है। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शाला दर्पण के द्वारा क्षेत्राधिकार में ऐसे समस्त विद्यालयों का चिन्हीकरण किया जाकर सम्बन्धित संस्था प्रधान को SDMC की आगामी बैठक (दिनांक : 24.06.2017 को आयोज्य) में आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु विद्यालय परिसर में भूमि उपलब्ध करवाने हेतु ICDS विभाग को NOC दिए जाने बाबत प्रस्ताव पारित करने एवं तत्पश्चात् भवन निर्माण हेतु ICDS विभाग के साथ समन्वय एवं सहयोग हेतु विस्तृत विचार विमर्श हेतु निर्देशित किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही अन्य समन्वित विद्यालयों में आंगनबाड़ी केन्द्रों के सुचारू संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु SDMC की उक्त बैठक में समुचित विमर्श किया जाना सुनिश्चित करावें।
- आंगनबाड़ी समन्वयन प्रक्रिया अथवा समन्वयन उपरान्त संचालन में विद्यालयों के समक्ष पेश आ रही कठिनाइयों/समस्याओं के व्यावहारिक निराकरण हेतु समस्त जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ICDS विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ सतत् सम्वाद, सम्पर्क एवं समन्वय रखते हुए सम्बन्धित समन्वित विद्यालयों के संस्था प्रधानों को समय–समय पर मार्ग दर्शन एवं सम्बलन की कार्यवाही सम्पादित की जानी अपेक्षित है।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
6. समस्त मण्डल उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) को मण्डल क्षेत्राधिकार में प्रभावी प्रबोधन एवं समुचित पर्यवेक्षण हेतु।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)–प्रथम/द्वितीय को क्षेत्राधिकार के समस्त विद्यालयों में आदेशों की सुनिश्चित पालना हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com